रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 1975/फाल्गुन 14, 1896

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1975/PHALGUNA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 5th March 1975

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 73/74-Central Excises, dated the 30th March, 1974, the Central Government hereby fixes for the internal combustion engines operated with diesel oil, other than marine diesel engines, chargeable with duty *ad valorem* under sub-item (ii) of Item No. 29 of the First Schedule to the said Act and the horse power of which is specified in Column (2) of the Table below, the tariff value specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Horse power of the engine	Tariff value in rupees per engine
(1)	(2)	(3)
1.	Exceeding 10 H.P. but not exceeding 15 H.P. . . .	6,410
2	Exceeding 15 H.P. but not exceeding 20 H.P.	11,130
3	Exceeding 20 H.P. but not exceeding 31 H.P.	13,380
4	Exceeding 31 H.P. but not exceeding 39 H.P.	16,880

Explanation.—For the purposes of this notification, the unit of horse power is the metric horse power equivalent to 4,500 metre kilogram per minute determines according to the Indian Standards Specifications 1600 to 1603.

[No. 75/75-CE]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1975

सा० का० नि० 141(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 73/74–के० उ० शु०, तारीख 30 मार्च, 1974 को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार मैरिन डीजल इंजनों से भिन्न, डीजल तेल से प्रचिलित अन्तर्दहन इंजनों के लिए जिन पर उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 29 की उपमद (11) के अधीन मूल्यानुसार शुल्क प्रभार्य है और जिनकी हार्सपावर नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	इंजन की हार्स पावर	प्रति इंजन टैरिफ मूल्य रुपयों में
(1)	(2)	(3)
1	10 हार्स पावर से अधिक किन्तु 15 हार्स पावर से अनधिक	6,410
2	15 हार्स पावर से अधिक किन्तु 20 हार्स पावर से अनधिक	11,130

(1)	(2)	(3)
3	20 हार्स पावर से अधिक किन्तु 31 हार्स पावर से अनधिक	13,380
4	31 हार्स पावर से अधिक किन्तु 39 हार्स पावर से अनधिक	16,880

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, हार्स पावर की ईकाई मीटरिक हार्स पावर है जो भारतीय मानके विशिष्टियों 1600 से 1603 के अनुसार अवधारित 4,500 मीटर कि० ग्रा० प्रति मिनट के समतुल्य है ।

[सं० 75/75-के० उ०]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975